

OTT प्लेटफार्मों का वनियमन

प्रलिस के लयः

[भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधकरण \(TRAI\)](#), [नयायाधकरण, दूरसंचार ववाद नपिटान अपीलीय नयायाधकरण \(TDSAT\)](#), [ओवर-द-टॉप \(OTT\)](#) ।

मेन्स के लयः

ओ.टी.टी. प्लेटफार्मों को उनकी वकिसति और गतशील प्रकृति, नयायाधकरण, ववाद नवारण तंत्र के कारण वनियमति करने में सरकार के सामने आने वाली चुनौतियँ ।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

[दूरसंचार ववाद नपिटान अपीलीय नयायाधकरण \(TDSAT\)](#) ने फैसला सुनाया है कि हॉटस्टार जैसे ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्म [भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधकरण \(TRAI\)](#) के अधकार क्षेत्र में नहीं हैं तथा ये [इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी \(MeitY\)](#) मंत्रालय द्वारा अधसूचति [सूचना प्रौद्योगिकी नयम, 2021](#) द्वारा शासति है ।

- TDSAT के अनुसार OTT प्लेटफॉर्म [ट्राई अधनियम, 1997](#) के दायरे से बाहर हैं क्योंकि उन्हें केंद्र सरकार से कसिी अनुमतया लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ।
- यह आदेश ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन (AIDCF) द्वारा स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (STAR) के खिलाफ एक याचका की प्रतिक्रया के रूप में था । + AIDCF ने स्टार द्वारा हॉटस्टार पर वशि्व कप मैचों की मुफ्त स्ट्रीमिंग को चुनौती देते हुए दावा कया कयिह अनुचति और [TRAI](#) नयमों के खिलाफ है ।

ओटीटी प्लेटफॉर्म रेग्युलेशन पर ववादः

- MoC और MeitY के बीच संघर्षः
 - दूरसंचार नयामक ट्राई और दूरसंचार वभाग (DoT), संचार मंत्रालय (MoC) का MeitY के साथ ववाद हो गया कओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्मों को कसि वनियमति करना चाहयि, क्योंकि देश में इंटरनेट आधारति संचार सेवाओं के लयि नयामक ढाँचे की प्रकृति को लेकर बहस चल रही है ।
 - DoT ने ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्मों को दूरसंचार सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने और उन्हें दूरसंचार ऑपरेटरों की तरह वनियमति करने की मांग की ।
 - ट्राई ने ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म को कैसे वनियमति कया जाए, इस पर अलग से एक परामर्श पत्र जारी कया है ।
- दूरसंचार वभाग के साथ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की असहमतिः
 - सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का मानना है कव्यापार नयमों के आवंटन के तहत, इंटरनेट आधारति संचार सेवाएँ DoT के अधकार क्षेत्र का हसिसा नहीं हैं ।
 - हालाँकि इस मामले में चर्चा वहाट्सएप जैसी ओटीटी संचार सेवाओं के आसपास केंद्रति है ।
- TRAI द्वारा OTT सेवाओं को वनियमति करने का प्रयासः
 - TRAI ने सबसे पहले वहाट्सएप, जूम और गूगल मीट जैसी ओ.टी.टी. संचार सेवाओं के लयि एक वशिषिट नयामक ढाँचे के नरमाण के वरिद्ध सफारिश की थी ।
 - वर्तमान में TRAI द्वारा इन सेवाओं को वनियमति करने पर पुनर्वचार करने के रुख के कारण वभिन्न संबद्ध मंत्रलयों और वभागों के बीच ववाद उत्पन्न हो गया है ।

ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्मः

■ परचियः

- ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म **ऑडियो तथा वीडियो होस्टिंग और स्ट्रीमिंग** सेवाएँ हैं, ये शुरू-शुरू में कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म थे, लेकिन बाद में ये लघु फिलिमों, फीचर फिलिमों, वृत्तचित्रों व वेब-सीरीज़ के नरिमाण एवं रल्लिज तक वसितारति हो गया ।
- ये प्लेटफॉर्म वभिन्न प्रकार के कंटेंट प्रदान करते हैं और कृत्रमि बुद्धमिर्ता (AI) का उपयोग करके उपयोगकर्त्ताओं को उनके द्वारा देखे जाने वाले कंटेंट की प्रकृति एवं प्रकार के आधार पर अन्य कंटेंट का सुझाव देता है ।

■ सेवाएँ:

- **अधिकांश ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म पर कुछ कंटेंट निःशुल्क होते हैं** और कुछ ऐसे कंटेंट जो आम तौर पर अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते हैं, जनिहें **प्रीमियम कंटेंट** कहा जाता है, के लयि मासकि सदस्यता शुल्क का भुगतान करना पड़ता है ।
- प्रीमियम कंटेंट का नरिमाण और वपिणन आमतौर पर ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं स्थापति प्रोडक्शन हाउसों के सहयोग से कयिा जाता है ।

○ उदाहरणः

- नेटफ्लिक्स, डज़िनी+, हुलु, अमेज़न प्राइम वीडियो, पीकॉक, क्यूरियोसिटीस्ट्रीम, प्लूटो टीवी एवं अन्य ।

■ ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म को वनियमति करने वाले कानूनः

- वर्ष 2022 में केंद्र सरकार ने ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म को वनियमति करने के लयिसूचना प्रोद्योगकिी (मध्यवर्ती दशानरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहति) नयिम 2021 अधिसूचति कयिा ।

सूचना प्रोद्योगकिी नयिम, 2021ः

■ सोशल मीडिया द्वारा अधकि सतरकता बरता जानाः

- मुख्य तौर पर आईटी नयिम (2021) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्लेटफॉर्म पर कंटेंट/सामग्री के संबंध में अधकि सतरकता बरतने का आदेश देता है ।
- ये नयिम ओ.टी.टी. प्लेटफॉर्म के लयि आचार संहति और त्रिस्तरीय शकियत नविरण तंत्र के साथ एक सॉफ्ट-टच स्व-नयिमक तंत्र स्थापति करते हैं ।
- साथ ही प्रत्येक प्रसारक को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत एक स्व-नयिमक नकिया का सदस्य बनना होगा तथा संबद्ध शकियतों का समाधान करना होगा ।

■ शकियत नविरण तंत्रः

- प्लेटफॉर्म के नविरण तंत्र के शकियत अधकिारी का कार्य उपयोगकर्त्ताओं की शकियतें दर्ज करना और उनका समाधान करना है ।
 - उससे 24 घंटे के अंदर शकियत की प्राप्ति की सूचना देने और 15 दिनों के अंदर उचति तरीके से उसका नपिटान करने की अपेक्षा की जाती है ।
 - प्लेटफॉर्म पर कसिी अन्य माध्यम से इसकी पहुँच और प्रसार को भी अक्षम कयिा जाना चाहयि ।

■ गोपनीयता नीतियाँः

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की गोपनीयता नीतियों को यह सुनिश्चति करना चाहयि कि उपयोगकर्त्ताओं को कॉपीराइट सामग्री और ऐसी कसिी भी चीज़ को प्रसारति न करने के वषिय में शकिषति कयिा जाता है जसि अपमानजनक, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तजनक, पैडोफलिकि के रूप में माना जा सकता है, जो भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता को हानि पहुँचा सकती है या वदिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या कसिी भी समकालीन कानून का उल्लंघन करती है ।

दूरसंचार वविाद नपिटान और अपीलीय न्यायाधकिरण (Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal- TDSAT):

■ स्थापनाः

- **TRAI अधनियिम, 1997 में संशोधनः** TRAI अधनियिम को वर्ष 2000 में संशोधति कयिा गया, जसिने TRAI के न्यायकि और वविादपूर्ण कार्यों को संभालने के लयि एक दूरसंचार वविाद नपिटान एवं अपीलीय न्यायाधकिरण (TDSAT) की स्थापना की ।

■ उद्देश्यः TDSAT की स्थापना नमिनलखिति के बीच कसिी भी वविाद का नपिटारा करने हेतु की गई थीः

- एक लाइसेंसकर्त्ता और एक लाइसेंसधारी
- दो या दो से अधकि सेवा प्रदाता
- एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं का एक समूह
- इसकी स्थापना TRAI के कसिी भी नरिदेश, नरिणय या आदेश के वरिद्ध अपील सुनने और नपिटाने के लयि भी की गई थी ।

■ संरचनाः

- TDSAT में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होते हैं, जनिकी नयिकृति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है ।
- सदस्यों का चयन **भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार** द्वारा कयिा जाता है ।

■ संरचनाः

- न्यायाधकिरण में केंद्र सरकार द्वारा नयिकृत एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं ।

■ पात्रताः

- **अध्यक्षः** कोई वयकृति अध्यक्ष के रूप में नयिकृति के लयि तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कविह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न हो ।
- **अन्य सदस्यः** वह भारत सरकार में सचवि या केंद्र/राज्य सरकार में कसिी समकक्ष पद पर रहा हो ।
- **कार्यालय की अवधिः** TDSAT के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अधिकतम **चार वर्ष या सत्तर वर्ष** (अध्यक्ष के लयि), जो भी पहले हो,

की अवधि के लिये पद पर बने रहेंगे।

○ अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्यों के मामले में अधिकतम आयु **पैंसठ वर्ष** है।

■ **TDSAT की शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र:**

- सविलि कोर्ट/नागरिक न्यायालयों के पास किसी भी मामले पर वचिार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसके पास TDSAT को निर्धारित करने का अधिकार हो।
- TDSAT द्वारा पारित आदेश सविलि कोर्ट के डिक्री(किसी सकषम न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभवियक्ती) के रूप में नषिपादन योग्य है, **ट्रिब्यूनल के पास सविलि कोर्ट की सभी शक्तियाँ** होती हैं।
- यह सविलि प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बंधा नहीं है बलकपिराकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
- TRAI अधिनियम, 1997 (संशोधित), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 और भारतीय वमिन पत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा **दूरसंचार, प्रसारण, IT और वमिन पत्तन के टैरफि मामलों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग** किया जाता है।
- **वर्ष 2004** में प्रसारण और केबल सेवाओं को शामिल करने के लिये TRAI अधिनियम का दायरा बढ़ाया गया था। इसके अलावा वर्ष 2017 में वित्त अधिनियम के बाद TDSAT के **अधिकार क्षेत्र को उन मामलों को शामिल करने के लिये बढ़ा दिया गया था जो पहले साइबर अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में थे।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारत में दूरसंचार, बीमा, वदियुत् आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण नमिनलखिति में से कौन करते/करती हैं? (2019)

1. संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ
2. संसदीय वभिाग संबंधी स्थायी समितियाँ
3. वित्त आयोग
4. वित्तीय क्षेत्र वधियाी सुधार आयोग
5. नीति(NITI) आयोग

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) 1 और 2
- (b) 1, 3 और 4
- (c) 3, 4 और 5
- (d) 2 और 5

उत्तर: (a)

??????:

प्रश्न. सूचना प्रौद्योगिकी समझौतों (ITA) का उद्देश्य हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर सभी करों और प्रशुल्कों को कम करके शून्य पर लाना है। ऐसे समझौतों का भारत के हितों पर क्या प्रभाव होगा? (2014)